मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-5-87 में उपस्थित अधिकारियों/सदस्यों की उपस्थिति :-

----

ह0/-

1- श्री एस0 एस0 पॉगती....अध्यक्ष

2- श्री प्रताप सिंह.........उपाध्यक्ष

3- श्री इन्दु शेखर प्रतिनिधि संयुक्त अभियन्ता व्या० नि० वि०

4- के. एल. साह सहायक निदेशक पर्यटन मसूरी प्रतिनिधि नि. प. उ. प्र. लखनऊ

5- एन. बी. सिंह, जनरल मैनेजर, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून, उत्तरकाशी 19.5.87

6- बृज बी. रतन सह. कृ. नियोजक गढ़वाल मण्डल देहरादून

7- ए. ल. दुबे अधिशासी अधिकारी - सिटी बोर्ड देहरादून

8- एस. के. गुप्ता अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) देहरादून 19/5

9- प्रकाश नारायण निगम, महाप्रबन्धक, गढ़वाल जलसंस्थान देहरादून

10- [illegible], वनसंरक्षक, पश्चिम वृत्त, देहरादून

11- बी. के. पान्डे अधीक्षण अभियन्ता नवम् मंडल जल निगम देहरादून

12- [illegible] MLA [illegible]

13- हरे कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ

14- श्री अशोक खुराना जिलाधिकारी देहरादून

15- श्री जनार्दन प्रसाद संयुक्त सचिव उ. प्र. शासन (नगर विकास विभाग)

16. [illegible]

17. आई० पी० सिंह, संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि [illegible]

18- Deepak Nath Kaushik

(906)

अध्यक्ष/आयुक्त

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.5.87 की कार्यवाही आपके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है ।

कृपया जौलाई माह में प्राधिकरण की अगली बैठक की तिथि व समय निर्धारित करने की कृपा करें ।

21.5.87   21.5.87

(प्रताप सिंह)   सचिव

उपाध्यक्ष,   विकास

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण

देहरादून ।

मसूरी-देहरादून

उपस्थिति :-

1. श्री
2. श्री
3. श्री
4. श्री
5. श्री
6. श्री
7. श्री
8. श्री
9. श्री
10. श्री
11. श्री
12. श्री

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 19.5.87 को प्राधिकरण कार्यालय में हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :-

1.	श्री एस0एस0 पागती, आयुक्त गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री प्रताप सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री अशोक खुराना, जिलाधिकारी, देहरादून	सदस्य
4.	श्री हीरा सिंह विष्ट, नगर विधायक	सदस्य
5.	श्री जनार्दन प्रसाद, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास, लखनऊ	प्रतिनिधि सदस्य
6.	श्री हरे कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ नियोजक, उ0प्र0 नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ ।	प्रतिनिधि सदस्य
7.	श्री एन0बी0 सिंह, जनरल मैनेजर, जिला उद्योग, केन्द्र, देहरादून ।	सदस्य
8.	श्री आई0पी0 सिंह, संयुक्त निदेशक, पर्यावरण	सदस्य
9.	श्री के0सी0 थपलियाल, बन संरक्षक, देहरादून ।	सदस्य
10.	श्री पी0के0 पाण्डे, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, देहरादून ।	प्रतिनिधि सदस्य
11.	श्री डब्ल्यू रहमान, प्रतिनिधि प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0, देहरादून ।	प्रतिनिधि सदस्य
12.	श्री के0एल0शाह, सहायक निदेशक, पर्यटन, मसूरी।	प्रतिनिधि सदस्य

विशेष आमंत्रित

1. श्री द्वारिका नाथ धवन, भूतपूर्व विधायक
2. श्री ए0सी0 दुबे, अधिशासी अधिकारी, सिटी बोर्ड, देहरादून ।
3. श्री एस0के0 गुप्ता, अधिशासी (विद्युत), देहरादून ।
4. श्री प्रकाश नारायण निगम, महाप्रबन्धक गढ़वाल जल संस्थान दे0दून
5. श्री एस0पी0 उनियाल, संयुक्त निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, दे0दून

अन्य उपस्थित

1. श्री यू0डी0 चौबे, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, दे0दून ।
2. श्री आर0पी0 सिंह, संयुक्त सचिव, म0दे0 वि0प्रा0, देहरादून ।
3. श्री एस0सी0 धिल्डियाल, नगर नियोजक, म0दे0 वि0प्रा0, देहरादून ।
4. श्री बी0बी0 रतन, सहयुक्त नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक इन्दिरा कालोनी देहरादून ।
5. - - - - -

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.5.87 की कार्यवाही

गत बैठकों की अनुपालन आख्या :-

दिनांक 16.2.87 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या :-

आख्या पढ़ी गई और इस पर विचारोपरान्त प्राधिकरण ने निम्नलिखित निर्देश दिये :-

क. गांव सभाओं की भूमि पर अतिक्रमण रोकने व उसके सुनियोजित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये गांव सभा की भूमि का शीघ्र सर्वेक्षण कराकर जिलाधिकारी अगली बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे ।

॥कार्यवाही जिलाधिकारी॥

ख. राजपुर रोड़ पर भूमि संख्या 71 की अध्याप्ति में सीलिंग से कोई बाधा नहीं बताई गयी। अतः जिलाधिकारी इसकी अध्याप्ति की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करायेंगे। भूमि संख्या 69 को सीलिंग से मुक्ति दिलाने के लिये एक प्रस्ताव शासन को भेजा जाये ताकि इस भूखण्ड की अध्याप्ति में विलम्ब/कठिनाई न हो ।

॥कार्यवाही जिलाधिकारी/विकास प्राधिकरण॥

ग. सहयुक्त नगर नियोजक क्षेत्र प्रत्येक सप्ताह बुधवार के पूर्वान्ह में प्राधिकरण के कार्यालय में आकर डालनवाला क्षेत्र के भवन मानचित्रों का प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करें ताकि इन मानचित्रों के निस्तारण में विलम्ब न हो ।

॥कार्यवाही सहयुक्त नगर नियोजक

घ. तिब्बती बाजार में निर्बल वर्ग के लिए छोटी-छोटी दुकानों का निर्माण प्रारम्भ करने से पहले यह तय करा लिया जाय कि स्टेडियम कहां बनेगा। सैन्ट थामस स्कूल के सामने फारेस्ट रेंजर्स कालेज को लीज पर दिए गए खेल के मैदान में स्टेडियम के निर्माण की संभावना का अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग परीक्षण करेंगे व उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। परेड ग्राउन्ड में दूसरा सार्वजनिक खेल मैदान हो सकता है।

॥कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता सा0नि0वि0॥

(ड) अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिये गढ़वाल जल संस्थान व देहरादून-मसूरी विद्युत अन्डरटेकिंग पानी/विद्युत का अस्थायी/स्थायी कनैक्शन देने से पूर्व यह अवश्य देखेंगे कि प्रश्नगत निर्माण का मानचित्र विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं और यदि मानचित्र स्वीकृत नहीं है तो प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। नगरपालिका द्वारा मान्यता प्राप्त मलिन बस्तीयों की सूची नगरपालिका देहरादून से प्राप्त की जाय ताकि इन बस्तीयों के अलावा किसी अन्य बस्ती में कनैक्शन न दिये जा सके। मलिन बस्तीयों के विस्तार पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से यह जरूरी है ।

(कार्यवाही महाप्रबन्धक गढ़वाल जल संस्थान व अधिशासी अभियन्ता मसूरी-देहरादून विद्युत अन्डरटेकिंग)

(च). दूनघाटी कर्मचारी सहकारी आवास समिति को अजबपुर कलां की भूमि न दी जाय क्योंकि इस समिति के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस भूमि पर प्राधिकरण ही अपनी आवासीय योजना बनाए व पुनः रजिस्ट्रेशन खोले ।

(कार्यवाही विकास प्राधिकरण)

(छ) वर्तमान जनरल महादेव सिंह मार्ग को पक्का डबल लेन बनाने का आगणन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र तैयार किया जाय ।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता सा०नि०वि०)

(ज) मसूरी में लायब्रेरी के निकट कार पार्किंग के डिजायन को प्राधिकरण के अभियन्त्रण कक्ष व सहयुक्त नगर नियोजक द्वारा शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाय व भूमि की स्टेबिलिटी के बारे में सी.बी.आर.आई. रूडकी से भी जांच करा ली जाय ।

(कार्यवाही विकास प्राधिकरण व सहयुक्त नगर नियोजक)

(झ). भारतीय सैन्य अकादमी द्वारा कांवली रोड़ को बन्द कर दि[illegible] जाने के कारण वैकल्पिक मार्ग के बारे में सहयुक्त नगर नियोजक [illegible] यह [illegible]ई को को आख्या प्रस्तुत करें जिस पर अगली बैठक में विचार होगा । [illegible] आगणन

(कार्यवाही सहयुक्त नगर [illegible] ...स०नि०वि०)

(ट) नौनकन्फरमिंग उपविधि[illegible] [illegible]गिक इकाई[illegible]
भूमि के आवास, व्यवसाय कृषि आ[illegible] [illegible]न्फ[illegible]

215

(ब) 30.3.87 की बैठक के निर्णयानुसार गठित समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की गयी विकास शुल्क की दरें उस दिन से प्रभावी होगी जिस दिन से अध्यक्ष महोदय ने उनको स्वीकृति दी है और इनका पूर्वगामी प्रभाव नहीं होगा। अत: जिन व्यक्तियों ने पहले पुरानी दरों पर विकास शुल्क जमा कर दिया है उसकी वापसी का प्रश्न नहीं उठता। समिति द्वारा शासन शुल्क की नई दरों का अनुमोदन शासन से प्राप्त कर लिया जाय।

(स). ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को प्राइवेट आर्कीटैक्ट से मानचित्र बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। मुख्य नगर व ग्राम नियोजक के कार्यालय में 40 माडल मानचित्र है जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकतानुसार दो-तीन माडल छाटे जा सकते है। वरिष्ठ नगर व ग्राम्य नियोजक इन माडल मानचित्रों को प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगें।

॥कार्यवाही वरिष्ठ नगर व ग्राम्य नियोजक विकास प्राधिकरण॥

(द). देहरादून नगर की महायोजना को रेवेन्यू नक्शे पर भी दिखाया जाय। तदुपरान्त प्राधिकरण द्वारा गठित समिति (विशेषज्ञों की) जांच करें।

॥कार्यवाही सहयुक्त नगर नियोजक॥

विषय क्रमांक :- 1 :-

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.3.87 की कार्यवाही की पुष्टि

कार्यवृत्ति पढ़ा गया व सर्वसम्मति से इसकी पुष्टि की गई व रजिस्ट्रर में अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

विषय क्रमांक:-2:-

वर्ष 1986-87 की प्रगति समीक्षा

मानचित्रों के निस्तारण की प्रगति पर सन्तोष प्रकट किया गया पर दो माह से अधिक पुराने मानचित्र भी पाए गए। इस बात पर जोर दिया गया कि दो माह से अधिक का समय मानचित्रों के निस्तारण में न लिया जाय।

वर्ष 1986-87 के बजट में अनुमानित 1.39 करोड़ रूपया की आय से अधिक आय (1.77 करोड़) रूपये होने पर संतोष प्रकट किया गया । इस बात पर भी संतोष प्रकट किया गया कि अधिष्ठान व कार्यालय व्यय में मितव्ययता कर बजट में अनुमानित व्यय (20.13 लाख रू0) से कम व्यय (12.26 लाख रू0) हुआ । परियोजना व्यय बहुत कम पाया जिसके निम्न कारण बैठक में स्पष्ट किए गए :-

(अ) प्राधिकरण का सितम्बर 86 से ही फंक्शनल होना ।
(ब) तिब्बती मार्केट में कतिपय कारणों से निर्माण का रोका जाना ।
(स) आवासीय व शापिंग काम्पलैक्स हेतु भूमि अध्याप्ति कार्यवाही का पूर्ण न होना ।

प्राधिकरण के समक्ष उन विकास कार्यों की सूची रखी गयी जिसके अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू करा दिए गए है या शुरू कराए जाने वाले हैं। प्राधिकरण ने यह आशा प्रकट की कि इस वर्ष परियोजना/विकास कार्यों पर व्यय बढ़ेगा।

(कार्यवाही विकास प्राधिकरण)

लक्ष्मन चौक व राजपुर में निर्बल वर्ग आवासीय योजना में भवनों का मूल्य निर्धारित करने के लिए जिलाधिकारी के परामर्श के अनुसार भूमि का मूल्य 100/= प्रति वर्ग मीटर रखा जाय व उसमें केवल उसी भूमि का मूल्य शामिल किया जाय जिसमें आवासीय कमरे बनें हैं।

(कार्यवाही विकास प्राधिकरण)

राजपुर रोड पर पूर्णतः शापिंग काम्पलैक्स बनाने के बजाय यहां पर एक कम्यूनिटी हाल व कुछ कार्यालयों के लिए भी व्यवस्था रखी जाय । भूमि अध्याप्ति हो जाने पर तदुपरान्त प्राजैक्ट तैयार किया जाय ।

(कार्यवाही विकास प्राधिकरण)

विषय क्रमांक:-3:- मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय भवनों के निर्माण की अनुमति ।

यह बताया गया कि मास्टर प्लान व जोनल प्लान के अनुसार यह क्षेत्र उद्योगों के लिए है परन्तु जोनल प्लान में मोहब्बेवाला गांव की आवादी को अंकित नहीं किया गया है । बैठक में उ0प्र0 नगर विकास व नियोजन अधिनियम की धारा-16 व 56 को पढ़ा गया और इस गांव में वर्तमान मकानों में रह रहे व्यक्तियों की व्यावहारिक कठिनाईयों को देखते हुए सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र में वर्तमान मकानों में परिवर्तन व परिवर्धन के प्रत्येक मानचित्र को उसके

299

गुण व अवगुण के आधार पर विशेष परिस्थितियां दर्शाते हुए प्राधिकरण के समक्ष आदेशार्थ रखा जाना चाहिए। ~~इसके साथ शासन से विधिक राय प्राप्त करने हेतु भी अनुरोध किया जाए कि धारा 16 के अन्तर्गत इस क्षेत्र में वर्तमान मकानों के परिवर्तन/परिवर्धन में कोई विधिक बाधा तो नहीं है।~~

ःकार्यवाही विकास प्राधिकरणः

विषय क्रमांक :=4:= ग्राम कांवली में शासकीय अ०शा० कार्यालय हेतु भू उपयोग आवासीय में परिवर्तन करने तथा सहस्त्रधारा मार्ग पर भूमि अर्जित करने के सम्बन्ध में :-

इस विषय में विस्तार से परीक्षण करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक कमेटी बनाई गयी।

1. सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
2. सहयुक्त नगर नियोजक ।
3. विकास प्राधिकरण के नगर नियोजक ।
4. श्री हीरा सिंह विष्ट, नगर विधायक ।
5. तहसीलदार, देहरादून ।
6. श्री द्वारिका नाथ धवन

यह समिति इस बात का भी परीक्षण करेगी कि कांवली में सरकारी कार्यालय/अर्धशासकीय कार्यालयों के लिए स्थान सुरक्षित रखना व्यवहारिक व ~~औपचारिक~~ औचित्य पूर्ण है या नहीं। समिति की संस्तुति पर निर्णय हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया ।

सर्वसम्मति से ही यह भी निर्णय हुआ कि कार्यालयों, आवासीय व व्यावसायिक उपयोग हेतु सहस्त्रधारा मार्ग पर अकृषिक भूमि को लिया जाय क्योंकि यहां सिंचाई का कोई साधन न होने के कारण खेती नहीं हो सकती और देहरादून का विकास इस तरफ करना आवश्यक है। इस भूमि का मानचित्र तैयार करवा कर पूर्ण विवरण अगली बैठक में रखा जाय ।

ःकार्यवाही सचिव विकास प्राधिकरणः

विषय क्रमांक :-5:- पशु शव उपयोग केन्द्र हेतु भूमि आवंटित करने के लिए उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाना :-

इस विषय पर अन्तिम निर्णय हेतु सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

ःकार्यवाही उपाध्यक्षः

(22)

विषय क्रमांक :-6:-

प्राधिकरण कार्यालय में इन्टरकाम लगाने की स्वीकृति :-

प्राधिकरण कार्यालय में 35000/= की सीमा के व्यय के अन्तर्गत इन्टरकाम लगाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

॥कार्यवाही सचिव विकास प्राधिकरण॥

विषय क्रमांक:-7:-

समाचार पत्रों की विज्ञापन दर निर्धारित किया जाना :-

सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि नगरपालिका , देहरादून की दरों के अनुसार ही उन समाचारपत्रों को आवश्यकतानुसार विज्ञापन दिया जाय जिनका सरकुलेशन जिला सूचना अधिकारी के अनुसार नियमित है।

॥कार्यवाही सचिव, विकास प्राधिकरण॥

विषय क्रमांक :-8:-

नूजल भूखण्ड संख्या 212 डिस्पेन्सरी रोड़ पर व्यावसायिक केन्द्र की स्थापना :-

सर्वसम्मति से यह अनुभव हुआ कि वर्तमान बदली हुई परिस्थितियां आवासीय/व्यावसायिक क्षेत्र में जो भीड़-भाड़ पूर्ण भी है, बड़े जानवरों का अस्पताल बने रहना उचित नहीं है। अतः संबंधित विभाग को अन्य उपयुक्त स्थान की तलाश करने के लिए लिखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से हुआ ताकि यहां पर प्राधिकरण द्वारा दूकानें बनाई जा सकें जो इस क्षेत्र का सही भू उपयोग होगा ।

॥कार्यवाही सचिव, विकास प्राधिकरण॥

विषय क्रमांक :-9:-

नगर महोपाजना में प्रदिष्ठ बस-स्टैन्ड के भू उपयोग में भूमि अध्याप्त करने हेतु प्रस्ताव में संशोधन :-

223

~~ग्राम~~ ग्राम माजरा में बस स्टैण्ड हेतु अध्याप्त की जा रही भूमि में शामिल गाटा सं0 162 के भू स्वामी की व्यवहारिक कठिनाई व विशेष परिस्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर व बस स्टैण्ड में मुख्य सहारनपुर मार्ग में से ही प्रवेश की आवश्यकता को देखते हुए सर्व-सम्मति से यह निर्णय हुआ कि गाटा सं0 162 के भू स्वामी को यहीं पर पास में गाटा सं0 155/1 में उतनी ही भूमि दे दी जाय या अन्यत्र इतनी ही भूमि दे दी जाय जिसका मूल्य भी इतना ही हो।

॥कार्यवाही संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण॥

विषय क्रमांक :-10 :-

अध्यक्ष/आयुक्त के वैयक्तिक सहायक को देय मानदेय की धनराशि का पुनरीक्षण :-

अध्यक्ष के शिविर कार्यालय में प्राधिकरण संबंधी बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि उनके वैयक्तिक सहायक श्री एन0एस0 रावत का मानदेय 50/= प्रतिमाह से बढ़ा कर 150/= प्रति माह कर दिया जाय।

॥कार्यवाही विकास प्राधिकरण॥

विषय क्रमांक :- 11 :-

गांधी पार्क की ~~चहर~~ दिवारी के लिए रू0 5 लाख की धनराशि को नगरपालिका, देहरादून को हस्तान्तरित करने के संबंध में ।

सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया परन्तु कार्य की गुणवत्ता व स्टीमेट के अनुसार चैकिंग प्राधिकरण के अभियंत्रण विभाग द्वारा भी की जाय ।

विषय क्रमांक :- 13 :-

देहरादून में विद्युत शवदाह गृह हेतु रोटरी क्लब को रू0 5 लाख का अंशदान देने के संबंध में ।

देहरादून में विद्युत शवदाह गृह की आवश्यकता सर्वसम्मति से अनुभव की गयी और यह भी उचित समझा गया कि इसका निर्माण

प्राधिकरण स्वयं न करें बल्कि कोई स्वैच्छिक संस्था करे ताकि प्राधिकरण को पूरा व्यय वहन न करना पड़े। यह भी उचित समझा गया कि किसी एक स्वैच्छिक संस्था द्वारा ही विद्युत शव दाह गृह का निर्माण उपयुक्त स्थान पर किया जाय। लक्खीबाग इसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं समझा गया क्योंकि अब यह आवासीय क्षेत्र हो गया है और चूँकि यहां लकड़ी से शव जलाने की प्रथा भी जारी रहेगी अतः यहीं पर विद्युत शवदाह गृह भी उचित नहीं होगा। रोटरी क्लब द्वारा रिस्पना नदी से आगे शहर से दूर ली गयी भूमि इस कार्य हेतु अधिक उपयुक्त समझी गई। अतः सर्वसम्मति से यह सैद्धान्तिक निर्णय हुआ कि जो भी संस्था 10 लाख रू0 की धनराशि अपने पास दिखा दे उसे विद्युत शवदाह गृह हेतु 5 लाख रू0 का अनुदान प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित शर्तों की पूर्ति पर दिया जाय।

1. संस्था के पास 10 लाख रू0 नगद उपलब्ध हो व शवदाह गृह की लागत हेतु शेष धन उपलब्धि का संतोषजनक आसार हो।

2. संस्था के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो जो उपयुक्त स्थान पर हो।

3. संस्था के पास निर्माण कार्य करने या कराने की क्षमता हो।

4. जब संस्था द्वारा शवदाह गृह की लागत का 25 लाख रू0 तक कार्य कर दिया जाय तभी प्राधिकरण द्वारा अपना अंश दान दिया जायेगा।

5. शवदाह गृह निर्माण के बाद उसका संचालन प्राधिकरण के सुपुर्द किया जाएगा।

6. शवदाह गृह के निर्माण का संचालन/निरीक्षण करने में प्राधिकरण का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

7. निर्माण होने के बाद भी शवदाह गृह का संचालन संस्था ही करती है तो गवर्निंग बौडी में प्राधिकरण व नगरपालिका का भी एक-एक अधिकारी होगा और गवर्निंग बौड़ी के अध्यक्ष आयुक्त या जिलाधिकारी या उपाध्यक्ष होंगें।

इस विषय पर अन्तिम निर्णय हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक:- 13:-

प्राधिकरण को लक्ष्मी रोड़ पर प्राप्त हो रही सीलिंग की सरप्लस भूमि पर अधिकारियों के आवास बनाने का प्रस्ताव ।

सर्वसम्मति से इस सम्बन्ध में निर्णय हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर प्राधिकरण के अधिकारियों के आवास बना लिये जायं। आगणन की स्वीकृति व व्यय की स्वीकृति उपाध्यक्ष अपने स्तर पर कर लें ।

(कार्यवाही उपाध्यक्ष)

विषय क्रमांक :- 14 :-

प्राधिकरण कार्यालय में मिनिस्ट्रीयल तथा अन्य पदों पर स्थानीय नियुक्ति :-

---

संयुक्त सचिव नगर विकास ने बताया कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मिनिस्ट्रीयल सेवा के कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार प्राधिकरण को दिया जा रहा है और इसलिये इन पदों को केन्द्रीयत सेवा से पृथक किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस सम्बन्ध में आदेश एक माह में प्राधिकरण को प्राप्त हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष अपने स्तर पर मिनिस्ट्रीयल सेवा के कर्मचारियों की नियुक्ति करने में सक्षम होंगे । सर्वसम्मति से शासन से अनुरोध किया जाय कि कनिष्ठतम तकनीकी पदों (सर्वेयर, ड्राफ्टसमैन, ट्रेसर, लेखपाल आदि) पदों पर भी नियुक्ति का अधिकार प्राधिकरण को ही दिया जाय और इसी प्रकार राजस्व निरीक्षक व विधि सहायक के पदों पर भी तब तक नियुक्ति करने का अधिकार प्राधिकरण को दिया जाय जब तक कि शासन द्वारा इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो जाती ताकि कार्य में अवरोध उत्पन्न न हो ।

(कार्यवाही शासन स्तर / प्राधिकरण)

विषय क्रमांक :- 15 :-

अनुबन्ध पत्रों पर हस्ताक्षर हेतु एक अधिकारी को अधिकृत किया जाना :-

---

हडको व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये तथा स्टेट गारन्टी या बैंक गारन्टी प्राप्त करने के लिये आवश्यक अनुबन्ध पत्रों वं अन्य विलेखों पर हस्ताक्षर करने के लिये सचिव, विकास प्राधिकरण को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया ।

(कार्यवाही सचिव प्राधिकरण)

विषय क्रमांक :- 16 :-

प्राधिकरण की दिनांक 21.11.85 की बैठक में लिये गये निर्णय प्रस्तर सं0-2, पृष्ठ सं0-9 में आहरण एवं वितरण का संशोधन दिनांक 19.5.87 की बैठक में निर्णय हेतु :-

229

वत्त

वर्तमान व्यवस्था में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सचिव, प्रभारी अधिकारी (लेखा) व उपाध्यक्ष में से केवल दो अधिकारियों के चैक पर हस्ताक्षर होना पर्याप्त होगा। पूर्व निर्णय के अनुसार 15 हजार रूपये से कम के चैकों पर उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होगें।

अनुपुरक विषय कृमांक :- 1 :-

नियोजन खण्ड के लिय जीप की स्वीकृति

प्राधिकरण में नगर नियोजक की नियुक्ति हो चुकी है और उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शीघ्र ही नियोजन खण्ड से सम्बन्धित स्टाफ की व्यवस्था भी हो जायेगी और इस प्रकार नियोजन खण्ड एक अलग इकाई के रूप में प्राधिकरण के अन्दर गतिशील हो जायेगा। अत: सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर नियोजन खण्ड के लिये एक जीप कृय कर ली [illegible] अभियंत्रण अनुभाग के लिये जो जीप कृय की जा रही है उससे नगर नियोजन खण्ड का कार्य नहीं चल पायेगा क्योंकि दोनों खण्डों का कार्य अलग-अलग प्रकृति का है।

अत: सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर नियोजन खण्ड के लिये एक जीप कृय कर ली जाय।

अनुपुरक विषय कृमांक :- 3 :-

नगरपालिका के ट्रेंचिंग मैदान की भूमि व्यवस्था :-

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, देहरादून ने अवगत कराया कि नगरपालिका, देहरादून के ट्रेंचिंग ग्राउन्ड को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक निगम द्वारा [illegible] अधिग्रहण किया जा चुका है और इस कारण नगरपालिका, देहरादून द्वारा शहर का कूड़ा बिन्दाल नदी के तट पर या शहर में इधर-उधर फेंका जा रहा है जिससे नगर में गन्दगी पैदा हो रही है। नगरपालिका ट्रेंचिंग ग्राउन्ड के लिये 19 लाख रूपये भूमि की कीमत दी जा चुकी है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव था कि इस धनराशि में से धर्मपुर में प्राधिकरण द्वारा ली जा रही गांव सभा की भूमि ट्रेंचिंग ग्राउन्ड के लिये नगरपालिका को दे दी जाय। उन्होनें यह भी बताया कि वे इस भूमि के चारों तरफ इतनी ऊँची दिवार बना देगें जिससे प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि ट्रेंचिंग ग्राउन्ड के लिये नगरपालिका को भूमि उपलब्ध करने के लिये एक समिति गठित कर दी जाय

(231)

जिसके निम्नलिखित सदस्य होगें :-

1. सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
2. श्री हीरा सिंह बिष्ट, नगर विधायक ।
3. स्वास्थ्य अधिकारी, नगरपालिका, देहरादून ।
4. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देहरादून ।

उपरोक्त समिति स्थान का उपयुक्त चयन करते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि आस-पास आबादी न हो। इस समिति के संयोजक सचिव, विकास प्राधिकरण होगें।

॥कार्यवाही सचिव, विकास प्राधिकरण॥

अनुपूरक विषय क्रमांक :-4:-

सेना द्वारा छावनी क्षेत्र में से जानी वाली सड़क को सिविल यातायात के लिए बन्द करने से उत्पन्न स्थिति :-

---

सेना द्वारा छावनी क्षेत्र से जाने वाली सड़क को सिविल यातायात के लिये बन्द कर दिया गया है। इस प्रश्न को जिलाधिकारी, देहरादून ने प्राधिकरण के समक्ष रखा और सैनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही इस कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों से प्राधिकरण को अवगत कराया । चूँकि छावनी क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाली सड़कें देहरादून नगर के विशेष भागों से जुड़ी हुयी है और इन सड़कों का सिविल यातायात के लिये उपयोग सदियों से होता चला आ रहा है और छावनी के निकट बसे हुये गांवों के लोगों को शहर आने के लिये इन्हीं मार्गों का प्रयोग करना पड़ता है और चूँकि अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है, अत: सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि सैनिक अधिकारियों द्वारा छावनी क्षेत्र में स्थित सडकों को सिविल यातायात हेतु पहले की तरह खुला रखा जाय और सिविल यातायात को बन्द न किया जाय। प्राधिकरण ने यह मत भी सर्वसम्मति से प्रकट किया कि यदि यह मार्ग सिविल यातायात के लिये बन्द किया जाता है तो इसके गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव व प्रतिक्रियाएं होंगी और इससे देहरादून नगर व आस-पास की ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भी असुविधा उत्पन्न होगी जिसके निराकरण का कोई उपाय नहीं होगा और इस प्रकार इससे जन संतोष उग्र रूप धारण कर सकता है। यह भी निर्णय सर्वसम्मति से हुआ कि जिलाधिकारी तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही करें ।

॥कार्यवाही जिलाधिकारी॥

24.5.87

सुरेन्द्र सिंह पांगती, आई०ए०एस०,
अध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

24.5.87

॥प्रताप सिंह॥ आई०ए०एस०,
उपाध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

24.5.87

॥यू०डी०चौबे॥पी०सी०एस०,
सचिव,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

(23)

जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगें :-

1. सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
2. श्री हीरा सिंह बिष्ट, नगर विधायक ।
3. स्वास्थ्य अधिकारी, नगरपालिका, देहरादून ।
4. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देहरादून ।

उपरोक्त समिति स्थान का उपयुक्त चयन करते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि आस-पास आबादी न हो। इस समिति के संयोजक सचिव, विकास प्राधिकरण होंगें।

॥कार्यवाही सचिव, विकास प्राधिकरण॥

अनुपूरक विषय क्रमांक :-4:-

सेना द्वारा छावनी क्षेत्र में से जानी वाली सड़क को सिविल यातायात के लिए बन्द करने से उत्पन्न स्थिति :-

---

सेना द्वारा छावनी क्षेत्र से जाने वाली सड़क को सिविल यातायात के लिये बन्द कर दिया गया है। इस प्रश्न को जिलाधिकारी, देहरादून ने प्राधिकरण के समक्ष रखा और सैनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही इस कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों से प्राधिकरण को अवगत कराया । चूँकि छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सड़कें देहरादून नगर के महत्वपूर्ण भागों से जुड़ी हुयी हैं और इन सड़कों का सिविल यातायात के लिये उपयोग सदियों से होता चला आ रहा है और छावनी के निकट बसे हुये गांवों के लोगों को शहर आने के लिये इन्हीं मार्गों का प्रयोग करना पड़ता है और चूँकि अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है, अतः सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि सैनिक अधिकारियों द्वारा छावनी क्षेत्र में स्थित सड़कों को सिविल यातायात हेतु पहले की तरह खुला रखा जाय और सिविल यातायात को बन्द न किया जाय। प्राधिकरण ने यह मत भी सर्वसम्मति से प्रकट किया कि यदि यह मार्ग सिविल यातायात के लिये बन्द किया जाता है तो इसके गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव व प्रतिक्रियायें होंगी और इससे देहरादून नगर व आस-पास की ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भी असुविधा उत्पन्न होगी जिसके निराकरण का कोई उपाय नहीं होगा और इस प्रकार इससे जन संतोष उग्र रूप धारण कर सकता है। यह भी निर्णय सर्वसम्मति से हुआ कि जिलाधिकारी तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही करें ।

॥कार्यवाही जिलाधिकारी॥

24.5.87

सुरेन्द्र सिंह पांगती, आई०ए०एस०,
अध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

॥प्रताप सिंह॥ आई०ए०एस०,
उपाध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

॥यू०डी०चौबे॥पी०सी०एस०,
सचिव,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।